मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
33/2018	FSS ACT	04.07.2018	21.2.2024

1. प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें भरतपुर जोन भरतपुर

—आवेदक

बनाम

1. श्री अशोक कुमार सिंघल पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ सिंघल उम्र 59 साल जाति महाजन एफबीओ व मालिक—फर्म हेमा मिष्ठान भण्डार, जॉगिड़ धर्मशाला के सामने, नेहरू पार्क के पास, गंगापुर सिटी निवासी— माल गोदाम रोड़ नृसिंह कॉलोनी, गंगापुर सिटी।

—अभियुक्त

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

निर्णय दिनांक 21.02.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन, खाद्य सुरक्षा कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये जोन भरतपुर, (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2017 को लगभग 11:30 ए. एम पर फर्म हेमा मिष्ठान भण्डार, जॉगिड़ धर्मशाला के सामने, नेहरू पार्क के पास, गंगापुर सिटी पर रोहिताश वार्ड वॉय के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहॉ पर निरीक्षण के समय अशोक कुमार सिंघल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ सिंघल उम्र 59 साल जाति महाजन मौजूद था। अशोक कुमार सिंघल ने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने अपना परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्रमांक 22214067000855 दिनांक 19.04.2014 प्रस्तुत किया। अशोक कुमार सिंघल अपनी दुकान पर मावा मिठाई, जलेबी, कचौरी व छैना मिठाई आम जनता को विक्रय करता है अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्व प्रमाणित प्रति पेश की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) के मिलावटी होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0—5 अ की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 400/— रूपये नकदी चुका कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं, उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) को अच्छी तरह मिक्स कर चार साफ सूखी व खाली शिशियों में बराबर —बराबर भरकर प्रत्येक शीशीयों में 40 बूँदे फोरमेलिन प्रिजरवेटिव के रूप में डालकर अच्छी तरह बंद किया तथा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक—एक लेबल चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग—2 ब्राउन पेपर में लपेट कर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन भरतपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एओ—292 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर चिपकाकर प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये जिस पर विक्रेता अशोक कुमार सिंघल ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर ननूना सील लगायी जिससे ननूना सील किया गया था। एक नूमना भाग नय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सीलड लिफाफे में श्री अतर सिंह एन.पी.डब्लू कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 18.10.2017 को खाद्य विशलेषक अलवर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो आवेदन के साथ संलग्न है।

दो सील बंद नूनना भाग नय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा ननूने का चौथा भाग नय फार्म नं0 6 की प्रति के दिनांक 17.10.2017 को स्वयं अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाये जोन भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन भरतपुर के पत्र क्रमांक /एफएसएसए/2017/4350–51 दिनांक 28.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक अलवर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या /एलएस/1136/एक्ट/2017/1157 दिनांक 13.11.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते ननूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) सबस्टैण्डर्ड (**sub-standard**) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये भरतपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/140 दिनांक 03.01.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (**sub-standard**) खाद्य वस्तु पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघन है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त कि ओर से दिनांक 20.08.2019 को श्री रामदयाल त्रिवेदी एडवोकेट ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण का जबाब पेश करने का समय चाहा।

दिनांक 19.02.2024 को अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने जबाब इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है जो बहुत छोटी सी हलवाई की दुकान करता है वह दुकान किराये पर है एंव उसके विरूद्ध यह प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर बनाया गया है अभियुक्त अपने परिवार का पालन–पोषण दुकान से करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जबरदस्ती सैंपल भर लिया अभियुक्त निर्दोष है प्रकरण इसी आधार पर निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अभियुक्त की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने जबाब अनुसार बहस में कथन किया कि अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है जो बहुत छोटी सी हलवाई की दुकान करता है वह दुकान किराये पर है एंव उसके विरूद्ध यह प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर बनाया गया है अभियुक्त अपने परिवार का पालन–पोषण दुकान से करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जबरदस्ती सैंपल भर लिया अभियुक्त निर्दोष एंव गरीब व्यक्ति है अभियुक्त की आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एंव अधिवक्ता अभियुक्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न FOOD SAFTY AND STANDARDS LABORATORY अलवर की REPORT OF THE FOOD ANALYSED क्रमांक

अतिरिक्त जिला एवं
अतिरिक्त जिला

एलएस/1136/Act/2017/1457 दिनांक 13.11.2017 का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

"**Opinion**- This sample of proprietary food, Chhaina Mitaahi, (Rasogulla)bearing code & serial No. AO-292 of D.O. Bharatpur, is Substandard Food U/S 3(1)(zx) of FS &S Act 2006 it does not coform tp the purity standards of poroprietary food, Chhaina mithai, as per FS&S (food products standards and Food Additives) Regulation 2011. B.R Reading of extracted fatty matter is high and Strchy matter has been added in chhaina product

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (छैना मिठाई) का सेम्पल SERIAL NO.AO-292 [**Sub-Standard**] पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा सब–स्टैण्डर्ड [**Sub-Standard**] प्रकृति की खाद्य वस्तु रसगुल्ला (छैना मिठाई) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अभियुक्त को 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

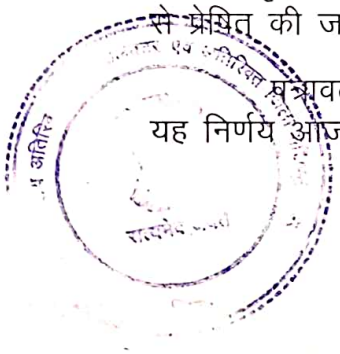

सत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला मजि...
गंगापुर सिटी